	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	भाद्र 08, मंगलवार, शाके 1944-अगस्त 30, 2022 *Bhadra 08, Tuesday , Saka 1944- August 30, 2022*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

विधि एवं विधिक कार्य विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 24, 2022

सख्या प.2(1)न्याय/2022 :-मोटर यान अधिनियम, 1988 (सन् 1988 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 59) की धारा 165 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, इस बाबत पूर्व में जारी अधिसूचनाओं में आंशिक संशोधन करते हुए, जयपुर महानगर प्रथम एवं द्वितीय न्यायक्षेत्र में कार्यरत निम्नलिखित कॉलम संख्या 2 में वर्णित अपर जिला न्यायालयों को मोटर दुर्घटना दावा अधिकरणों के रूप में गठित करती है, तथा उक्त न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों को संबंधित मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण का पीठासीन अधिकारी नियुक्त करती है साथ ही उक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरणों की बैठक का स्थान कॉलम संख्या 3 के अनुसार एवं उनका क्षेत्राधिकार कॉलम संख्या 4 के अनुसार निर्धारित करती हैः-

क्र.सं.	अधिकरण का नाम	बैठक का स्थान	क्षेत्राधिकार
1	2	3	4
1	अपर जिला एवं सेंशन न्यायालय संख्या 10, जयपुर महानगर प्रथम मुख्यालय सांगानेर	सांगानेर	स्थानीय क्षेत्राधिकार
2	अपर जिला एवं सेंशन न्यायालय संख्या 11, जयपुर महानगर प्रथम मुख्यालय सांगानेर	सांगानेर	स्थानीय क्षेत्राधिकार
3	अपर जिला एवं सेंशन न्यायालय, बस्सी (जयपुर महानगर प्रथम)	बस्सी	स्थानीय क्षेत्राधिकार
4	अपर जिला एवं सेंशन न्यायालय संख्या 10, जयपुर महानगर द्वितीय मुख्यालय चौमू	चौमू	स्थानीय क्षेत्राधिकार

राज्यपाल के आदेश से,

प्रवीर भटनागर,

प्रमुख शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।